<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u> REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-26082020-221361 CG-GJ-E-26082020-221361

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] No. 344] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

अधिसूचना

अहमदाबाद, 26 अगस्त, 2020

सीनेट सं. P-24024/11/2018-IPR-V.—राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 30 के साथ पठित धारा 31 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान के सीनेट ने समाधित कर लिया है और निम्नलिखित अध्यादेश का निर्माण किया है:-

- **1.** संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस अध्यादेश को राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान व डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) ये 1 दिसंबर, 2017 से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं -

- (1) इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ की आवशयकता ना हो, -
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18);
 - (ख) "पाठ्यक्रम" का अर्थ है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत शोधार्थी द्वारा किए जाने वाले अध्ययन:
 - (ग) "डॉक्टरल सलाहकार समिति" का अर्थ है इस अध्यादेश के अध्यादेश 11 के तहत गठित डॉक्टरल सलाहकार समिति:
 - (घ) अनुसंधान समिति" का अर्थहै इस अध्यादेश के अध्यादेश 9के तहत गठित अनुसंधान समिति;

3896 GI/2020 (1)

- (ड़) ''रिसर्च स्कॉलर'' का अर्थ है इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत व्यक्ति;
- (2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें सौंपे जाएंगे।

3. डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी कार्यक्रम

- (1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम और इसके शासी नियम और कानून संस्थान की सीनेट द्वारा तैयार किए जाते हैं।
- (2) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के संबंध में सीनेट समय-समय पर संरचना, शासी नियमों और विनियमों को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।
- (3) एक शोधार्थी (रिसर्च स्कॉलर) को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया जायेगा, इस कार्यक्रम के तहत स्कॉलर को किए गए अपने शोध के निष्कर्षों को शामिल करते हुए एक लेख (थीसिस) प्रस्तुत करना होगा।
- (4) इस थीसिस, संगत विषय के विशेषज्ञों द्वारा जांच किए जाने के साथ ही ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने वाला मौलिक योगदान होना चाहिए।
- (5) सीनेट द्वारा निर्धारित सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कोई उम्मीदवार डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री का पात्र हो जाता है।
- (6) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सत्यापन के बाद सीनेट की सिफारिश पर बनाई जाएगी।
- (7) अनुसंधान कार्यक्रम के सफलतापूर्ण पूरा होने परडॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 4. **कार्यक्रम का वर्गीकरण** (1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम को पूर्ण-कालिक और अंश-कालिक रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) निम्नलिखित पूर्ण-कालिक शोधार्थी होंगे, नामत: -

- (क) अध्यतावृति सहित शोधार्थी:
- (ख) उद्योग, सरकार और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान विद्वान,जो संस्थान के किसी भी प्रकार के वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे।
- (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) पुरस्कार प्राप्त फैलोशिप के साथ विदेशी नागरिक जो अपनी संबंधित सरकारों द्वारा प्रायोजित हैं और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित किए गए हैं, वे अपने-अपने देशों में भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे।
- (घ) स्व-वित्तपोषित विदेशी नागरिकों को विदेश मंत्रालय की मंजूरी और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बाद संबंधित सरकारों के दूतावास के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकता है।

(3) निम्नलिखित अंश-कालिक विद्वान होंगे, अर्थात्: -

- (क) संस्थान या संस्थान परिसर के कर्मचारी या संकाय सदस्य जो कि संस्थान के स्थायी कर्मचारी हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे;
- (ख) शैक्षणिक या उद्योग या अनुसंधान संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से पूर्ण-कालिक डॉक्टरेट प्रोग्राम वहां रह कर करने में असमर्थ हैं;

- (ग) उद्योग या संस्थानों द्वारा अंश-कालिक आधार पर प्रायोजित व्यक्ति।
- 5. कार्यक्रम की अवधि-(1) पूर्ण-कालिक अनुसंधान के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम पाठ्यक्रम कार्य सहित तीन वर्ष की अवधि का होगा और का काम अधिकतम पांच वर्ष में पूर्ण करना होगा।

महिला उम्मीदवारों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति को अधिकतम अवधि में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।

एक पूर्ण-कालिक रिसर्च स्कॉलर को प्रोग्राम की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश या बच्चे की देखभाल हेतु छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।

- (2) रिसर्च स्कॉलर जो तीन वर्ष के भीतर पूर्ण-कालिक कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं, वे दो वर्ष तक का विस्तार प्राप्त कर सकते हैं।
- (3) अंश-कालिक अनुसंधान विद्वानों के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम पाठ्यक्रम कार्य सहित पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगे और इसे अधिकतम सात वर्ष में किया जा सकता है।
- (4) रिसर्च स्कॉलर जो पांच साल के भीतर अंश-कालिक कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हें, वे दो साल तक का विस्तार प्राप्त कर सकते हैं।
- **6. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड** (1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता निम्नानुसार होगी, अर्थात: -

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिज़ाइन में मास्टर डिग्री या राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान से डिज़ाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रोग्राम किया हो, में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मे एडवांस एन्ट्री प्रोग्राम या पांच-साढ़े पांच साल का स्कूल लीवर्स प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम डिप्लोमा किया हो;

या

कुल 55 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स या एप्लाइड आर्ट्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' होना चाहिए या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है अंक स्केल में समकक्ष ग्रेड या किसी आकलन और मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष विदेशी डिग्री जो अपने मूल देश की विधि या उस देश में किसी सांविधिक प्राधिकरण अनुमोदित हो या स्थापित हो और डिजाइन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हो;

या

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान से तीन वर्ष का व्यावसायिक या शिक्षण अनुभव या दोनों के साथ स्नातक की डिग्री या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से डिज़ाइन में ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम होना चाहिए;

या

तीन वर्ष के व्यावसायिक या शिक्षण अनुभव या दोनों के साथ डिज़ाइन में साढ़े चार साल का स्कूल लीवर्स प्रोफेशनल एज्केशन प्रोग्राम डिप्लोमा;

या

55 प्रतिशत के साथ मास्टर ऑफ फिलॉसफी (डिजाइन में)।यूजी सी के 7 पॉइंट स्केल में कुल अंक या इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' में होना चाहिए या अंक स्केल में एक समान ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है या एक आकलन और मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष विदेशी डिग्री जो अनुमोदित हो, मान्यता प्राप्त हो या अपने देश में कानून के तहत स्थापित हो या शामिल हो और डिजाइन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हो;

या

जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिजाइन में दो साल या उससे अधिक अविध के संकाय विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

या

किसी विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री वाले विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिज़ाइन में मास्टर डिग्री के समकक्ष जो कि उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान से डिज़ाइन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, एड्वैंस एन्ट्री प्रोग्राम या राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान से डिज़ाइन में पांच वर्षीय स्कूल लीवर्स प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम डिप्लोमा हो।

7. प्रवेश के लिए आवेदन-

- (1) उम्मीदवार संस्थान से उपलब्ध फॉर्म में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं या इसे संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (2) यदि संस्थान की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जाता है, तो आवेदक को समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदन पत्र के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. प्रवेश के लिए प्रक्रिया-

- (1) संस्थान अपनी वेबसाइट और अन्य ऑनलाइन स्त्रोतों पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए प्रवेश की सूचना देगा।
- (2) विज्ञापन में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या, प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश के लिए प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उम्मीदवार के हित में अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी दी जाएगी।
- (3) संस्थान, भारत सरकार की समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करेगा।
- (4) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम के आवेदक को लगभग दो से तीन हजार शब्दों का शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (5) वह आवेदक जिसकी अंतिम वर्ष की अर्हता परीक्षा पूरी हो रही है और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है, वह भी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा और ऐसे मामलों में, प्रवेश अनंतिम होगा और प्रवेश की पुष्टि और पात्रता परीक्षा का सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने पर होगी।
- (6) अध्यादेश के खंड (4) के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव को अनुसंधान सिमिति द्वारा जांचा जाएगा और मुख्य रूप से योग्यता, विश्लेषणात्मक ढांचे, अनुसंधान प्राथमिकताओं और डिज़ाइन के व्यापक विषय के लिए प्रस्ताव की प्रासंगिकता के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
- (7) यह चयन एक प्रवेश परीक्षा डिज़ाइन रिसर्च टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा जिसे 60प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करना होगा और जिसमें परीक्षण डिज़ाइन योग्यता और अनुसंधान क्षमताओं, सामान्य जागरूकता, बुनियादी संख्यात्मक और डिज़ाइन क्षमताओं के आधार पर उम्मीदवार को जांचा जायेगा।
 - पंद्रह साल से अधिक अनुभव वाले डिज़ाइन पेशेवरों को डिज़ाइन रिसर्च टेस्ट से छूट दी जाएगी।
- (8) प्रवेश परीक्षा पहले से अधिसूचित केंद्र पर आयोजित की जाएगी।

(9) ऐसे आवेदक जो डिज़ाइन रिसर्च टेस्ट को उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें पहले से अधिसूचित तिथि को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

(10) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

- (क) अनुसंधान समिति के एक सदस्य, जिसे अनुसंधान समिति द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा:
- (ख) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के प्रमुख, पदेन;
- (ग) अनुसंधान समिति द्वारा नामित प्रमुख डिज़ाइनर या प्रधान संकाय या वरिष्ठ डिज़ाइनर या वरिष्ठ संकाय (स्तर के दो संकाय सदस्य) सदस्य;
- (घ) अकादिमक या उद्योग क्षेत्र के एक बाहरी विशेषज्ञ को अनुसंधान समिति द्वारा नामित किया जायेगा;

(11) साक्षात्कार में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) प्रस्तावित अनुसंधान के लिए उम्मीदवारों की योग्यता;
- (ख) क्या प्रस्तावित शोध कार्य संस्थान या संस्थान परिसर में उपयुक्त रूप से किए जा सकते हैं;
- (ग) क्या प्रस्तावित शोध कार्य संस्थान की अनुसंधान प्राथमिकताओं के अनुरूप है;
- (घ) क्या अनुसंधान का प्रस्तावित विषय नए या अतिरिक्त ज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सकता है जैसे विषय क्षेत्र या शोध प्रस्ताव का विषय)
- (च) बोलने का कौशल एवं प्रस्तुतिकरण।
- (12) चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- 9. अनुसंधान समिति-(1) सीनेट द्वारा इसके लिए गठित अनुसंधान समिति द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी प्रोग्राम का समन्वय और निगरानी की जाएगी।
 - (2) अनुसंधान समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -
 - (क) अध्यक्ष, शिक्षा, पदेन अध्यक्ष के रूप में
 - (ख) अध्यक्ष, अनुसंधान और प्रकाशन, पदेन अध्यक्ष के रूप में
 - (ग) सीनेट द्वारा संस्थान के प्रमुख डिज़ाइनर या प्रधान संकाय या वरिष्ठ डिज़ाइनर या वरिष्ठ संकाय के स्तर के व्यक्तियों को संकाय के चार सदस्यों के तौर पर नामित किया जाएगा और ये सदस्य ऐसे होंगे जो संस्थान में उपलब्ध नहीं हों और नपाठ्यक्रम न पढ़ाते हों।
 - (घ) प्रमुख सदस्य, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम पदेनसदस्य-सचिव के रूप में।
 - (3) अनुसंधान समिति के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा: बशर्ते कि सदस्य का कार्यकाल दो कार्यकालों तक बढ़ाया जा सकता है।
 - (4) अध्यक्ष विशेष क्षेत्र की जानकारी हेतु किसी अन्य सदस्य या विशेषज्ञ को संस्थान से या अन्य शैक्षणिक या उद्योग से सहयोग ले सकते हैं।
- 10. अनुसंधान समिति के कार्य- अनुसंधान समिति डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कार्य करेगी:
 - (क) उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु वार्षिक योजना अधिसूचित करना;
 - (ख) डिज़ाइन रिसर्च टेस्ट एवंतत्पश्चात साक्षात्कारों तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए संस्थान के सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य परीक्षकों हेतु व्यवस्था करना;

- (ग) उम्मीदवारों को मार्गदर्शक की पहचान, चयन और आवंटन;
- (घ) मार्गदर्शक के परामर्श सेप्रत्येक उम्मीदवार के लिए डॉक्टरल सलाहकार समिति का गठन;
- (च) अध्यापन और पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम की संरचना का निर्धारण और आवधिक समीक्षा;
- (छ) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के आचरण और नैतिकता से संबंधित सभी मामले;
- 11. डॉक्टरल सलाहकार सिमिति (1) अनुसंधान सिमिति, निर्धारित गाइड के परामर्श से, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में नामांकित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक डॉक्टरल सलाहकार सिमिति का गठन करेगी।
 - (2) डॉक्टरल सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -
 - (क) रिसर्च स्कॉलर का मार्गदर्शक सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा;
 - (ख) संस्थान से एक प्रमुख डिज़ाइनर या प्रमुख संकाय या वरिष्ठ डिज़ाइनर या वरिष्ठ संकाय को अनुसंधान समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
 - (ग) मार्गदर्शक द्वारा प्रस्तावित तीन विशेषज्ञों में से अनुसंधान समिति द्वारा नामित, संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले अकादिमक या उद्योग से एक बाहरी सलाहकार को चुना जायेगा।
- 12. डॉक्टरल सलाहकार समिति के कार्य-(1) डॉक्टरलसलाहकार समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:
 - (क) अनुसंधान प्रस्ताव की समीक्षा करना और अनुसंधान के विषय को अंतिम रूप देना;
 - (ख) अध्ययन के डिज़ाइन और अनुसंधान की कार्यप्रणाली का विकास करने के लिएरिसर्च स्कॉलर का मार्गदर्शन करना;
 - (ग) रिसर्च स्कॉलर के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और सहायता करना।
 - (2) रिसर्च स्कॉलर मूल्यांकन और आगे मार्गदर्शन हेतु अपने काम की प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए छह महीने में एक बार डॉक्टरल सलाहकार समिति के सामने अनिवार्य रूप से पेश होगा।
 - (3) रिसर्च स्कॉलर गाइड को भी एक प्रति प्रेषित करते हुए संस्थान को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 - (4) यदि रिसर्च स्कॉलर की प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो डॉक्टरल सलाहकार समिति इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी।
 - (5) यदि रिसर्च स्कॉलर इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डॉक्टरल सलाहकार समिति कारणों का उल्लेख करते हुए रिसर्च स्कॉलर के पंजीकरण को रद्द करने का सुझाव दे सकती है।
- 13. गाइड-(1) प्रमुख डिज़ाइनर या प्रमुखसंकाय या विरष्ठ डिज़ाइनर या विरष्ठसंकायके ग्रेड के संस्थान और इसके परिसर में संस्थान के सभी नियमित संकाय सदस्य छात्रों या शोधार्थियों को अनुसंधान हेतु मार्गदर्शन के लिए योग्य होंगे।
 - (2) उन विषयों के मामले में, जो अंतर-विषयक प्रकृति के हैं, जहां अनुसंधान समिति को लगता है कि बाहर से विशेषज्ञों की सहायता ली जानी चाहिए,अनुसंधान समिति संस्थान से ही एक गाइड नियुक्त कर सकती है, जिसे मार्गदर्शक के रूप में जाना जाएगा, और संस्थान के बाहर से एक सहायक मार्गदर्शक रखा जाएगा, जो कि कोई मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ या पेशेवर हो और जिस पर संस्थान या कॉलेज सहमत हो।
 - (3) संस्थान के कर्मचारी के अनुसंधान शोधार्थी होने के मामले में, मार्गदर्शक का चयन अनुसंधान समिति के अनुमोदन से संस्थान के बाहर के विशेषज्ञों के एक मान्यता प्राप्त पैनल द्वारा किया जाएगा, और ऐसे मामलों में संस्थान से एक सह मार्गदर्शक भी नियुक्त किया जायेगा।

- (4) किसी चयनित रिसर्च स्कॉलर के लिए गाइड को आवंटन के संबंध में निर्णयसाक्षात्कार के समय प्रति गाइड, रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या, गाइड्स के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता और स्कॉलर की अनुसंधान रूचि के आधार पर संबंधित अनुसंधान समिति द्वारा लिया जाएगा।
- (5) किसी भी समय एक गाइड तीन से अधिक रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड नहीं कर सकता है।
- (6) यदि बीमारी एक वर्ष की अवधि के लिए लंबी छुट्टी, इस्तीफा, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण गाइड रिसर्च स्कॉलर को उपलब्ध नहीं होता तो अनुसंधान समिति एक कार्यवाहक-गाइड नियुक्त करेगी।
- (7) मार्गदर्शक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ समय-समय पर सीनेट द्वारा तय की जाएंगी।
- 14. कोर्स का कार्य (1)डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पाठ्यक्रम न्यूनतम आठ क्रेडिट और अधिकतम सोलह क्रेडिट का होगा।
 - (2) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले रिसर्च स्कॉलर को कार्यक्रम के पाठ्यक्रम फ्लोचार्ट के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करना होगा।
 - (3) रिसर्च स्कॉलर,जो पहले से ही डिज़ाइन में मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री में रखते हैं और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं, या जिन्होंने पहले ही मास्टर ऑफ फिलॉसफी में कोर्स का कार्य पूरा कर लिया है और उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में करने की अनुमित दी गई है। उन्हें विभाग द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पाठ्यक्रम कार्य से छूट दी जा सकती है।
 - (4) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अन्य सभी उम्मीदवारों को विभाग द्वारा निर्धारित पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य पूरा करना होगा।
 - (5) अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड को सलाहकार समिति और अनुसंधान समिति द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और संस्थान को अंतिम ग्रेड सूचित किया जाएगा।
 - (6) रिसर्च स्कॉलर को, कार्यक्रम को जारी रखने और थीसिस जमा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु संस्थान के क्रेडिट और मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार एक न्यूनतम संचयी ग्रेड औसत प्राप्त करना होता है।

15. डिग्री प्रदान करने के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन के तरीके न्यूनतम मानक या क्रेडिट, आदि-

- (1) पाठ्यक्रम कार्य को संतोषजनक रूप से पूरा करने और जैसा भी मामला होअध्यादेश 14 के खंड (6) में निर्धारित अंक या ग्रेड प्राप्त करने हेतु अनुसंधान स्कॉलर को इस अध्यादेश के आधार पर संस्थान द्वारा निर्धारित एक उचित समय के भीतर शोध कार्य करना होगा और रचनात्मक परिणाम सहित न्यूनतम साठ हजार शब्दों का डाफ़्ट थीसिस तैयार करना होगा।
- (2) थीसिस प्रस्तुत करने से पहले, रिसर्च स्कॉलर संस्थान में सलाहकार सिमिति के सामने एक प्रस्तुति देगा, जिसमे सभी संकाय सदस्य और अन्य रिसर्च स्कॉलर भी आ सकेंगे।
- (3) प्रस्तुति के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया और टिप्पणियों को सलाहकार समिति के परामर्श सेथीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।
- (4) रिसर्च स्कॉलर को संदर्भित जर्नल में दो शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे,और प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट या रीप्रिंट के रूप में और प्रयोग आधारित अनुसंधान के मामलों में जहां पेपर के स्थान परसंग्रह, प्रदर्शनियों, फिल्मों और अन्य के रूप में परिणाम कोप्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना होगा।
- (5) संस्थान साहित्यिक चोरी और अकादिमक बेईमानी के अन्य रूपों का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से विकसित सॉफ्टवेयर और गैजेट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- (6) न्यूनतम साठ हजार शब्दों की थीसिस को मूल्यांकन के लिए जमा करते समय रिसर्च स्कॉलर कोवचनबद्धता देनी होगी और साथ में गाइड से प्रमाणित एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि यह

कार्य मूल रूप से किया गया है, इसमें किसी भी रूप से साहित्यिक चोरी नहीं की गयी है और इसका उपयोग किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा कार्य के लिए इस संस्थान या किसी अन्य संस्थान में नहीं किया गया है।

- (7) रिसर्च स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत की गई थीसिस का मूल्यांकन उनके मार्गदर्शक और कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जो संस्थान या संस्थान परिसर नियुक्त में नहीं हैं।
- (8) अन्य बातों सिहत मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई समालोचना के आधार पर विवा-वॉइस परीक्षा, गाइड और दो बाहरी परीक्षकों में से एक द्वारा आयोजित की जाएगीऔर इसमें सलाहकार सिमिति के सदस्य, संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, अन्य अनुसंधान विद्वानों और अन्य इच्छुक विशेषज्ञों या शोधकर्ताओं शामिल हो सकते हैं।
- (9) थीसिस का समर्थन करने के लिए रिसर्च स्कॉलर की सार्वजिनक मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब थीसिस पर बाहरी परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो और इसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए एक विशिष्ट सिफारिश शामिल हो।
- (10) यदि थीसिस के मामले में बाहरी परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है और परीक्षक मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं करता है, तो संस्थान थीसिस को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाहरी परीक्षक को भेज देगा और मौखिक परीक्षा तभी की जाएगी जब नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक हो।
- (11) यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और रिसर्च स्कॉलर को डिग्री देने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- (12) संस्थान थीसिस जमा करने की तारीख से छह महीने के भीतर थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करेगा।

16. उपस्थिति

रिसर्च स्कॉलर चाहे पूर्ण-कालिक हो या अंशकालिक, उसे सभी पाठ्यक्रमों में दिए गए व्याख्यानों में अस्सी प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी।

17. **छुट्टी**-(1) पूर्ण-कालिक रिसर्च स्कॉलर, एक वर्ष के दौरान छह महीने के प्रत्येक सेमेस्टर में चिकित्सीय आधार पर छुट्टी सहित पंद्रह कार्य दिवसों की छुट्टी का हकदार होगा।

बशर्ते कि जो छुट्टी नहीं ली गई है उसे अगले सेमेस्टर तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

- (2) रिसर्च स्कॉलर को, गाइड की सिफारिश के अधीन, आपातकालीन स्थिति में दो सेमेस्टर तक अनुपस्थिति हेतु असाधारण छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।
- (3) यदि कोई रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम की, पूर्ति के लिए अनुसंधान के उद्देश्य से भारत या विदेशों के अन्य संस्थानों में मौजूद होने के कारण अनुपस्थित रहता है तो इसके लिए छुट्टी गाइड के अनुमोदन पर दी जा सकती है।
- (4) एक पूर्ण-कालिक रिसर्च स्कॉलर जो गाइड की अनुमित के बिना सेमेस्टर के दौरान लगातार चार सप्ताह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, वह अपने वजीफे का हक़दार नहीं होगा।
- (5) यदि संस्थान की अनुमित के बिना रिसर्च स्कॉलर छह महीने की अविध तक अनुपस्थित है, तो रिसर्च स्कॉलर का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- (6) रिसर्च स्कॉलर गाइड की अनुमित से, भारत और विदेशों में होने वाले सम्मेलनों या सेमिनारों में भाग लेने या उपस्थित होने के लिए छुट्टी का लाभ उठा सकता है।

- (7) एक पूर्ण-कालिक रिसर्च स्कॉलर को कार्यक्रम की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों तक वजीफे के साथ मातृत्व अवकाश लेने की अनुमित दी जा सकती है और इस अवधि को कार्यक्रम के लिए थीसिस प्रस्तुत करने के लिए कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा।
- (8) एक पूर्ण-कालिक रिसर्च स्कॉलर कार्यक्रम की पूरी अविध में एक महीने के लिए वजीफे के साथ एक बार पितृत्व अवकाश का हकदार होगा और यह अविध कार्यक्रम के लिए थीसिस प्रस्तुत करने के लिए कुल अविध में नहीं गिनी जाएगी।
- **18. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (डिज़ाइन) जारी करना**। (1) मूल्यांकन प्रक्रिया का सफलता पूर्वक पूरा करने पर, रिसर्च स्कॉलर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (डिज़ाइन) में डिग्री प्रदान की जाएगी।
 - (2) डिग्री प्रदान करने से पहले, संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि डिग्री अध्यादेश के अनुसार प्रदान की गई है।

प्रवीण नाहर, निदेशक

[विज्ञापन_III/4/असा./201/2020-21]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD NOTIFICATION

Ahmedabad, the 26th August, 2020

- **F. No. P-24024/11/2018-IPR-V.**—In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 31 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Senate of the Institute had resolved and hereby makes the following Ordinance, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Ordinance may be called the National Institute of Design Doctor of Philosophy Ordinance, 2020.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st December, 2017.
- **2. Definitions.**–(1) In this Ordinance unless the context otherwise requires,
 - a. "Act" means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);
 - b. "coursework" means the courses of study prescribed to be undertaken by a Research Scholar registered for the Doctor of Philosophy programme;
 - c. "Doctoral Advisory Committee" means the Doctoral Advisory Committee constituted under ordinance 11 of this Ordinance;
 - d. "Research Committee" means the Research Committee constituted under ordinance 9 of this Ordinance;
 - e. "Research Scholar" means a person registered for the Doctor of Philosophy programme under the provisions of this Ordinance;
 - (2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
- **3. Doctor of Philosophy programme.** (1) The Doctor of Philosophy programme and its governing rules and regulations are formulated by the Senate of the Institute.
 - (2) The Senate may modify or change the structure, the governing rules and regulations regarding the Doctor of Philosophy programme from time to time.
 - (3) A Research Scholar to be awarded the Doctor of Philosophy degree has to submit a thesis embodying the findings of his research carried out under this programme.
 - (4) The thesis shall make an original contribution of high quality to the advancement of knowledge as judged by the experts in the relevant area.

- (5) A candidate becomes eligible for the award of the Doctor of Philosophy degree after fulfilling all the academic requirements prescribed by the Senate.
- (6) The award of the Doctor of Philosophy degree shall be made upon the recommendation of the Senate after ratification by the Board of Governors of the Institute.
- (7) On successful completion of the research programme, Doctor of Philosophy degree shall be awarded by the Institute
- **4.** Classification of programme. (1) The Doctor of Philosophy programme shall be classified into full-time and part-time.
 - (2) The following shall be full-time Research Scholar, namely:-
 - (a) Research Scholar with full fellowship;
 - (b) Research Scholar sponsored by Industry, Government and recognised non-Governmental organisations who shall not be eligible for any financial support from the Institute;
 - (c) Foreign nationals with Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Awardees Fellowship Awardees who are sponsored by their respective Governments and awarded a scholarship by the Indian Council for Cultural Relations shall apply for admission through Indian Embassy in their respective countries;
 - (d) Foreign nationals who are self-financed shall be granted admission through the Embassy of the respective Governments after approval of the Ministry of External Affairs and a no objection certificate from the concerned Ministry of the Central Government;
 - (3) The following shall be part-time Research Scholar, namely:-
 - (a) faculty or staff of the Institute who are permanent employees of the Institute or Institute campus, as the case may be, shall be eligible for admission to the Doctor of Philosophy programme;
 - (b) persons working in academia or industry or research organisation who are unable to pursue the full time doctoral programme in residence, for personal or professional reasons;
 - (c) individual sponsored on part time basis by industry or institution.
- **5. Duration of the programme.**—(1) The Doctor of Philosophy programme for full-time research scholars shall be for a period of three years including course work and a maximum of five years:

Provided that the female candidates and persons with disability of more than 40 per cent. may be allowed relaxation of two years in the maximum duration:

Provided further that a full time Research Scholar may be allowed to take maternity leave or child care leave up to 240 days once in the entire duration of the programme.

- (2) The Research Scholar who is not able to complete the full-time programme within three years may seek extension up to two years.
- (3) The Doctor of Philosophy programme for part-time research scholars shall be for a period of five years including course work and a maximum of seven years:

Provided that the female candidates and persons with disability of more than 40 percent may be allowed relaxation of two years in the maximum duration:

Provided further that a part time Research Scholar may be allowed to take maternity leave or child care leave upto 240 days once in the entire duration of the programme.

- (4) The Research Scholar who is not able to complete the part-time programme within five years may seek extension up to two years.
- **6. Eligibility criteria for admission to the Doctor of Philosophy programme.**–(1) The following shall be the minimum eligibility for admission to the Doctor of Philosophy programme, namely:-

Master's degree in Design from an accredited institution or recognised University or Post Graduate Diploma Programme in Design from the National Institute of Design or Advanced Entry Programme or five-five and a half year School Leavers' Professional Education Programme Diploma in Design from the National Institute of Design;

or

Master's degree in Architecture or Fine Arts or Applied Arts from a recognised institution or University with 55 per cent. marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7 point scale or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or an equivalent foreign degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognised or authorised

by an authority established or incorporated under a law in its home country or any statutory authority in that country for the purpose of assessing accrediting or assuring quality and standards of educational institutions and having a graduate or post graduate degree, in Design;

or

Bachelor's degree in Design from National Institute of Design or National Institute of Design's Graduate Diploma Programme in Design with three years' of professional or teaching experience or both;

or

four and a half year School Leavers' Professional Education Programme Diploma in Design with three years of professional or teaching experience or both;

or

Master's degree in Philosophy (in Design) with 55 per cent. marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7 point scale or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or an equivalent foreign degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognised or authorised by an authority established or incorporated under a law in its home country or any statutory authority in that country for the purpose of assessing accrediting or assuring quality and standards of educational institutions;

01

individuals who have successfully completed a Faculty Development Programme in Design having two years or more duration from the National Institute of Design or any other recognised University;

or

Foreign nationals or Indian nationals with degree from a foreign University subject to equivalence of their educational qualifications with the Master's degree in Design from an accredited institution or recognised University or Post Graduate Diploma Programme in Design from the National Institute of Design of Advanced Entry Programme or five-year School Leavers' Professional Education Programme Diploma in Design from the National Institute of Design.

- **7. Application for admission.**–(1) The candidate shall apply for admission to the Doctor of Philosophy programme in the form available from the Institute or it can be downloaded from the Institute's website.
 - (2) In case the application form is downloaded from the website of the Institute, the applicant shall remit the fee for the application form in the manner stipulated by the Institute from time to time.
- **8. Procedure for admission.**–(1) The Institute shall notify the admissions to the Doctor of Philosophy programme in the public domain on its website and other online resources.
 - (2) The advertisement shall specify the number of seats for admission, criteria for admission, procedure for admission, examination centres where entrance tests shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidate.
 - (3) The Institute shall follow the reservation policy of the Government of India, as prescribed from time to time.
 - (4) The applicant to the Doctor of Philosophy programme shall be required to submit a research proposal in two to three thousand words.
 - (5) The applicant who is scheduled to complete the final year of the qualifying examinations and is awaiting result, shall also be eligible to apply for admission to the Doctor of Philosophy programme, and in such cases, the admission shall be provisional and confirmation of admission shall be subject to successful completion of the qualifying examination.
 - (6) The research proposal submitted by the applicant under clause (4) of the ordinance shall be screened by the Research Committee and shall be primarily assessed on merit, analytical framework, research priorities and the relevance of the proposal to the broad theme of design.
 - (7) The selection shall be made through an entrance test namely, Design Research Test with qualifying marks as 60 per cent. and on the basis of the design aptitude and research abilities, general awareness, basic numeric and design abilities:
 - Provided that design professionals with more than fifteen years of experience shall be exempted from the Design Research Test.
 - (8) The entrance test shall be conducted at the centre notified in advance.

- (9) The applicant who qualifies the Design Research Test shall be required to appear for an interview before the Selection Committee on a date notified in advance.
- (10) The Selection Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) one member of the Research Committee, to be appointed by the Research Committee as Chairperson;
 - (b) Head, Doctor of Philosophy programme, ex-officio;
 - (c) two faculty members of the grade of Principal Designer or Principal Faculty or Senior Designer or Senior Faculty, nominated by the Research Committee;
 - (d) one external expert from academia or industry to be nominated by the Research Committee;
- (11) The interview shall consider the following aspects, namely:-
 - (a) competence of the candidates for the proposed research;
 - (b) whether the proposed research work can be suitably undertaken at the Institute or the Institute campus;
 - (c) whether the proposed research work is in alignment with Institute's research priorities;
 - (d) whether the proposed area of research can contribute to new or additional knowledge i.e. subject area or topic of the research proposal;
 - (e) delivery and presentation.
- (12) The final list of selected candidates shall be published on the website of the Institute.
- **9. Research Committee.**–(1) The Doctor of Philosophy programme shall be coordinated and monitored by the Research Committee, duly constituted for this purpose by the Senate.
 - (2) The Research Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Chairperson, Education, as Chairperson ex-officio;
 - (b) Chairperson, Research and Publications, ex-officio;
 - (c) four members of the faculty, to be nominated by the Senate, of the grade of Principal Designer or Principal Faculty or Senior Designer or Senior Faculty of the Institute and the members shall not be teaching the same course available at the Institute;
 - (d) Head, Doctor of Philosophy programme *ex-officio*, as Member-Secretary.
 - (3) The term of members, other than the *ex-officio* members, of the Research Committee shall be two years: Provided that the tenure of a member may be extended by two terms.
 - (4) The Chairperson may co-opt any other member or expert either from the Institute or from other academia or industry, for specialised domain knowledge.
- **10. Functions of the Research Committee.-** The Research Committee shall, with respect to the Doctor of Philosophy programme, provide for:
 - (a) notifications for annual plan for the intake of candidates;
 - (b) arrangements for the Design Research Test and the subsequent interview and such other tests as may be specified by the Senate of the Institute for admission to the Doctor of Philosophy programme;
 - (c) recognition, selection and allocation of guides to the candidates;
 - (d) setting up of the Doctoral Advisory Committee for each candidate, in consultation with the Guide;
 - (e) determination of pedagogy and structure for taught courses and periodic reviews;
 - (f) all matters concerning the conduct and ethics of the Doctor of Philosophy programme.
- 11. **Doctoral Advisory Committee.** (1) The Research Committee shall, in consultation with the assigned Guide, constitute a Doctoral Advisory Committee for each candidate enrolled in the Doctor of Philosophy programme.
 - (2) The Doctoral Advisory Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) the Guide of the Research Scholar shall be the Chairperson of the Advisory Committee;

- (b) one Principal Designer or Principal Faculty or Senior Designer or Senior Faculty from the Institute, to be appointed by the Research Committee;
- (c) one external advisor from academia or industry, with expertise in the relevant domain, to be nominated by the Research Committee from among three such experts to be proposed by the Guide.
- **12. Functions of the Doctoral Advisory Committee.–** (1) The functions of the Doctoral Advisory Committee shall be the following, namely:–
 - (a) to review the research proposal and finalise the topic of the research;
 - (b) to guide the Research Scholar to develop the study design and methodology of research;
 - (c) to periodically review and assist in the progress of the research work of the Research Scholar.
 - (2) The Research Scholar shall mandatorily appear before the Doctoral Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his work for evaluation and further guidance.
 - (3) The Research Scholar shall submit a six monthly progress report to the Institute with a copy to the Guide.
 - (4) In case the progress of the Research Scholar is unsatisfactory, the Doctoral Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures.
 - (5) If the Research Scholar fails to implement these corrective measures, the Doctoral Advisory Committee may recommend to the Institute with specific reasons for cancellation of the registration of the Research Scholar.
- **13. Guide.**–(1) All regular faculty members at the Institute and its campuses in the grade of Principal Designer or Principal Faculty or Senior Designer or Senior Faculty shall be eligible to guide students or scholars for research.
 - (2) In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Research Committee feels that the expertise has to be supplemented from outside, the Research Committee may appoint a Guide from the Institute itself, who shall be known as the Guide, and a co-Guide from outside the Institute who is a recognised expert or professional agreed upon by the consenting Institution or College.
 - (3) In case of employee of the Institute being a Research Scholar, the Guide shall be selected from a recognised panel of experts from outside the Institute with the approval from the Research Committee and in such cases, there shall be a co-Guide from the Institute.
 - (4) The allocation of Guide for a selected Research Scholar shall be decided by the Research Committee concerned depending on the number of Research Scholars per Guide, the available specialisation among the Guides and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview.
 - (5) At any given point of time a Guide cannot guide more than three Research Scholars.
 - (6) If the Guide is not available to the Research Scholar due to illness, long leave for a duration of one year, resignation, retirement or death, the Research Committee shall appoint a Caretaker-Guide.
 - (7) The roles and responsibilities of the Guide shall be decided by the Senate from time to time.
- **14. Course work.**–(1) The credit assigned Doctor of Philosophy course work shall be a minimum of eight credits and a maximum of sixteen credits.
 - (2) The Research Scholar admitted to the Doctor of Philosophy programme shall be required to complete the course work prescribed by the Department as per the curriculum flowchart of the programme.
 - (3) The Research Scholar already holding Master of Philosophy in Design degree and admitted to the Doctor of Philosophy programme, or those who have already completed the course work in Master of Philosophy and have been permitted to proceed to the Doctor of Philosophy, may be exempted by the Department from the Doctor of Philosophy course work.
 - (4) All other candidates admitted to the Doctor of Philosophy programme shall be required to complete the course work prescribed by the Department.
 - (5) The grades in the course work, including research methodology courses shall be finalised after a combined assessment by the Advisory Committee and the Research Committee and the final grades shall be communicated to the Institute.
 - (6) A Research Scholar has to obtain a minimum cumulative grade point average as per the credit and evaluation system of the Institute in order to be eligible to continue in the programme and submit the thesis.

- 15. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards or credits for award of the degree, etc.—(1) Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks or grade prescribed in clause (6) of ordinance 14, as the case may be, the Research Scholar shall be required to undertake research work and produce a draft thesis of minimum sixty thousand words along with a creative outcome within a reasonable time, as stipulated by the Institute based on these ordinance.
 - (2) Prior to the submission of the thesis, the Research Scholar shall make a presentation in the Institute in before the Advisory Committee which shall also be open to all faculty members and other Research Scholars.
 - (3) The feedback and comments obtained during the presentation may be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the Advisory Committee.
 - (4) The Research Scholar must publish two research papers in refereed journal, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates or reprints and for practice- based research, outcomes in the form of prototypes, collections, exhibitions, films, and so on may be considered instead of the paper where applicable.
 - (5) The Institute shall ensure availability of well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty.
 - (6) While submitting for evaluation, the thesis, of minimum sixty thousand words, shall have an undertaking from the Research Scholar and a certificate from the Guide attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree or diploma of the same Institute where the work was carried out, or to any other Institution.
 - (7) The thesis submitted by a Research Scholar shall be evaluated by his Guide and two external examiners, who are not in employment of the Institute or Institute campus.
 - (8) The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Guide and one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Advisory Committee, all faculty members of the Institute, other Research Scholars and other interested experts or researchers.
 - (9) The public *viva-voce* or defence of the Research Scholar to defend the thesis shall be conducted only if the evaluation report of the external examiners on the thesis is satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination.
 - (10) If the evaluation report of the external examiner in case of thesis, is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce*, the Institute shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory.
 - (11) If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the Research Scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.
 - (12) The Institute shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of thesis within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- **16. Attendance.**—A Research Scholar whether full-time or part-time must attend at least eighty percent of the lectures delivered in all courses, individually.
- **17. Leave.-**(1) A full-time Research Scholar shall be entitled to fifteen working days leave, inclusive of leave on medical grounds, for each six-month semester in a year:

Provided that leave which has not been availed shall be carried forward to the next semester.

- (2) A Research Scholar may be allowed extraordinary leave of absence up to two semesters on ground of an emergency, subject to the recommendation of the Guide.
- (3) If a Research Scholar is absent, on account of being present at other institutions in India or overseas for the purpose of research towards his fulfilment of the Doctor of Philosophy programme, a leave to that effect may be granted subject to the consideration and approval of the Guide.
- (4) A full time Research Scholar who may remain absent for a period of four weeks or more consecutively during a semester without the permission of the Guide may lose his stipend.
- (5) If the absence of Research Scholar is for a duration of six months without the permission of the Institute, the registration of the Research Scholar shall be cancelled.

- (6) A Research Scholar may avail of leave to attend or participate to present papers in conferences or seminars in India and overseas with the permission of the Guide.
- (7) A full time Research Scholar may be allowed to take maternity leave with stipend upto 240 days once in the entire duration of the programme and this period shall not be counted in the total duration for submission of the thesis for the programme.
- (8) A full time Research Scholar shall be entitled to a single paternity leave with stipend for a month in the entire duration of the programme and this period shall not be counted in the total duration for submission of the thesis for the programme.
- **18. Issuance of Doctor of Philosophy (Design).**—(1) Upon successful completion of evaluation process, Research Scholar shall be awarded a degree in Doctor of Philosophy (Design).
 - (2) Prior to the actual award of the degree, the Institute shall issue a provisional certificate to the effect that the degree has been awarded in accordance with the Ordinance.

PRAVEEN NAHAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty /201/2020-21]